No: PCH-HC (10)1/2015(FFC)-
Himachal Pradesh Government
Panchayati Raj Department.

Notification

In pursuance to the para 9.77 of recommendations of Fourteenth Finance Commission,the guidelines as per Annexure A are hereby notified for distribution of performance grant to the Gram Panchayats of Himachal Pradesh

By order
Secretary (Panchayati Raj)
to the Government of H.P., Shimla-9.

Endst. No: PCH-HC (10)1/2015(FFC)- **Dated: 31.03.2016**

Copy to :-

1. The Ministry of Panchayati Raj, Government of India, New Delhi, for favour of information please.
2. All the District Panchayat Officers in Himachal Pradesh for information and necessary action.
3. All the Block Development Officers in Himachal Pradesh for information and necessary action.
4. All the Panchayat Sahayak/Secretary, Gram Panchayats of Himachal Pradesh.

Deputy Secretary (Panchayati Raj)
to the Government of H.P., Shimla-9.

कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के वितरण हेतु योजना

पृष्ठभूमि:

14वें वित्तायोग की सिफारिशें वर्ष 2015–16 से वर्ष 2019–20 तक के लिए लागू की गई है। उक्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप प्रदेश को कुल 1809.80 करोड़ रूपये की राशि उक्त अवधि में प्राप्त होगी जिसे प्रदेश सरकार द्वारा 15 दिनों के भीतर ग्राम पंचायतों को प्रदान करना अनिवार्य है। इस राशि में से 1628.82 करोड़ रूपये मूल अनुदान तथा 180.98 करोड़ रूपये कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में चिन्हित की गई है। कार्य निष्पादन अनुदान की राशि वर्ष 2016–17 से प्राप्त होनी आरम्भ होगी। यह राशि अगले 4 वर्षों में भारत सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को प्रदान की जाएगी। 14वें वित्तायोग की सिफारिशों में यह उल्लेख किया गया है कि इस राशि के वितरण हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना/दिशानिर्देश तैयार किए जाएंगे जिनको मार्च 2016 तक अधिसूचित किया जाना है। कार्य निष्पादन अनुदान की पात्रता के लिए वित्तायोग द्वारा दो अनिवार्य शर्तें रखी गई हैं जिनमें से पहली लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा (Audited annual accounts) तथा दूसरी अपने राजस्व में बढ़ौतरी दिखाना है।

प्रस्तावना:

14वें वित्तायोग की सिफारिशों के मध्यनजर कार्य निष्पादन अनुदान को वितरित करने की योजना निम्नप्रकार से है:–

(i) अनुदान के लिए दावा प्रस्तुत करने हेतु ग्राम पचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे जोकि उस वर्ष, जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से सम्बन्धित नहीं होंगे अर्थात वर्ष 2016–17 में कार्य निष्पादन अनुदान के लिए आवेदन करने के हेतु वर्ष 2014–15 की लेखा परीक्षित वार्षिक लेखे दावें के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(ii) ग्राम पंचायत को पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में अपने राजस्व में बढौतरी करनी होगी और यह बढ़ौतरी लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से सत्यापित होनी चाहिए। उदाहरण के लिए वर्ष 2016–17 में कार्य निष्पादन अनुदान के लिए वर्ष 2014–15 में वर्ष 2013–14 के मुकाबले में राजस्व में बढौतरी दर्शानी होगी जो उक्त वर्षों की लेखा परीक्षित लेखों से सत्यापित होनी चाहिए।

प्रत्येक पंचायत, जो उक्त अनिवार्य पात्रताओं को पूर्ण करती है अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होगी। अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से निदेशालय में निर्धारित अवधि, जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, के भीतर प्राप्त होने चाहिए।

मापदण्डः

पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावनाओं का निदेशालय स्तर पर निम्न मापदण्डों के अनुसार आंकलन किया जाएगाः–

कम संख्या	मापदण्ड	अधिकतम अंक
1.	राजस्व में बढ़ौतरी। (प्रदत करों के अतिरिक्त) शुद्व बढ़ौतरी का 4 गुणा	
2.	शेष राशि को निम्न मापदण्डों अनुसार वितरित किया जाएगाः–	
	निर्धारित समय अवधि के भीतर ग्राम पंचायत विकास योजना का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन	10
	अंकेक्षण पैरों का समायोजन।	5
	वसूली योग्य राशि की वसूली।	5
	योजना का कार्यन्वयन।	15
	ग्राम सभा बैठक में गणपूर्ति	5
	पंचायत के लेखो का प्रियासाफट में संधारण	10

मूल्यांकनः सर्वप्रथम राजस्व में बढ़ौतरी के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जाएगा। जिस पंचायत द्वारा जितनी राशि अतिरिक्त रूप से जुटाई गई हो उसे जुटाई गई राशि का 4 गुणा प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाएगा। यदि 4 गुणा के हिसाब से उपलब्ध राशि कम होती है तो गुणा यथानुसार कम किया जाएगा जैसे 3.5, 3 इत्यादि। इसके पश्चात् शेष राशि को निम्न मापदण्डों के आधार पर प्रदान किया जाएगाः

क्रम संख्या	मापदण्ड अनुसार प्रगति	अंक वितरित करने की विधि
1.	निर्धारित समय अवधि के भीतर ग्राम पंचायत विकास योजना का ग्राम सभा द्वारा अनुमोदन।	सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर विकास योजना अनुमोदित करनी वाली पंचायत को पूर्ण अंक
2.	अंकेक्षण पैरों का समायोजन की प्रतिशतता।	निर्धारित वित्तीय वर्ष तक पंचायत में असमायोजित कुल अंकेक्षण आप्पतियों में से समायोजित आप्पतियों की प्रतिशतता भाग 10
3.	वसूली योग्य राशि की वसूली की प्रतिशतता।	निर्धारित वित्तीय वर्ष तक पंचायत में कुल वसूली योग्य राशि में से वसूली गई राशि की प्रतिशतता भाग 10
3.	योजना में अनुमोदित योजनाओं के कार्यान्वयन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रतिशत्ता।	निर्धारित वित्तीय वर्ष तक पंचायत में प्राप्त कुल अनुदान में से व्यय किए गए अनुदान की प्रतिशतता भाग 6.66
4.	अधिनियम के अनुसार निर्धारित अनिवार्य ग्राम सभाओं में कोरम पूर्ति की प्रतिशतता (विना स्थगन के)	कोरम पूर्ण ग्राम सभाओं की प्रतिशतता भाग 20
5.	निर्धारित वर्ष में प्रियासाफट में पंचायत के लेखों का संधारण	पूर्ण वार्षिक संन्धारण : 10 तीन तीमाही तक संधारित : 7.5 दो तीमाही तक संधारित : 5 प्रथम तीमाही तक संधारित : 2.5

उक्त मापदण्डों के अनुसार किए गए आंकलन में प्राप्त अंकों के आधार पर पंचायतों को तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। जो पंचायतें 85 से 100 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी उन्हें 'क' श्रेणी में रखा जाएगा तथा जो पंचायतें 70 से 84 प्रतिशत अंक प्राप्त करेगी उन्हें 'ख' श्रेणी जाएगा तथा इसके नीचे अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को श्रेणी 'ग' में रखा जाएगा। शेष राशि का 45 प्रतिशत हिस्सा 'क' श्रेणी की पंचायतों को बराबर बांटा जाएगा जबकि 'ख' श्रेणी की पंचायतों के मध्य शेष राशि का 30 तथा 'ग' श्रेणी की पंचायतों के मध्य 25 प्रतिशत हिस्सा बराबर बांटा जाएगा। यदि किसी श्रेणी में पात्र पंचायतें नहीं आती तो उस श्रेणी का हिस्सा अन्य श्रेणियों में बराबर बांटा जाएगा।

प्रतिशतता का निर्धारण करते समय .5 या इससे ऊपर की संख्या को ऊपर को गिना जाएगा जबकि .5 से कम की संख्या को नीचे की ओर गिना जाएगा। अर्थात 84.5 या इससे ऊपर की संख्या को 85 प्रतिशत माना जाएगा जबकि 84.49 या इससे नीचे की संख्या को 84 प्रतिशत माना जाएगा।

ooooo

वर्ष 2016–17 से सम्बन्धित कार्य निष्पादन अनुदान (Performance Grant) हेतु आवेदन पत्र

1. ग्राम पंचायत का नाम और पूरा पता पिन कोड सहित
2. विकास खण्ड का नाम
3. जिले का नाम
4. ग्राम पंचायत के प्रधान का नाम दूरभाष नम्बर सहित
5. ग्राम पंचायत के सचिव का नाम दूरभाष नम्बर सहित
6. वार्डों की संख्या
7. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंचायत की कुल जनसंख्या
8. पूर्व लेखा परीक्षा का वर्ष (वर्ष 2014–15 के अंकेक्षण पत्र की प्रति संलग्न की जाए)
9. अंकेक्षण पत्र के अनुसार पंचायत की कुल आय तथा कुल व्यय
10. अंकेक्षण पत्र अनुसार अपने स्त्रोतों से आय अर्थात कर, फीस तथा सैस से आय
11. अंकेक्षण पत्र अनुसार हस्तांतरित करों से आय (जैसेकि शराब उपकर, लघु खनिज उत्पाद)
12. गत वर्ष अर्थात 2013–14 के मुकाबले पचांयत की अपने राजस्व में वृद्वि (आधार वर्ष तथा पूर्व वर्ष अंकेक्षण पत्रों अनुसार अर्थात वर्ष 2013–14 का अंकेक्षण पत्र भी संलग्न करें)
13. ग्राम सभा विकास योजना 'हमारी पंचायत हमारी योजना' को अनुमोदित करने की तिथि।
14. गत अंकेक्षण पत्रों अनुसार कुल अंकेक्षण आपतियां तथा शेष अंकेक्षण आपतियों का विवरण।
15. अंकेक्षण पत्र एवं जांच अनुसार कुल वसूली योग्य राशियां तथा कुल की गई वसूली।
16. अंकेक्षण पत्र अनुसार विभिन्न योजनाओं के लिए कुल प्राप्त अनुदान तथा व्यय की गई राशि का ब्यौरा।

17. अनुमादित योजना में स्वीकृत कुल कार्यों में से कितने कार्यों को निष्पादित करके उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किए गये। उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने की तिथियों का विवरण दें।

18. पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत 6 अनिवार्य ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन तथा इसमें से 2 महिला ग्राम सभाओं को छोड़कर शेष 4 ग्राम सभाओं में कितनी ग्राम सभाओं की गणपूर्ति पहली बुलाई बैठक में हुई ।

19. ग्राम पंचायत द्वारा प्रियासाफ्ट में कार्य आरम्भ किया है यदि हां तो आधार वर्ष जिसके लिए पुरस्कार राशि दी जा रही है में प्रगति अर्थात पूरे वर्ष के लेखों को प्रियासाफ्ट में संधारित किया गया है या आधे वर्ष या एक तिमाही तक, विवरण दें।

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सूचना किसी भी दशा में गलत साबित होती है तो मैं नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी।

सचिव/सहायक के हस्ताक्षर

• नाम तथा मोहर सहित

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूं/करती हूं कि मैंने उक्त सूचना को प्रतिहस्ताक्षरित करते समय सूचना से सम्बन्धित सभी पहलुओं की जांच करके मैंने अपने को संतुष्ट कर लिया है। किसी भी दशा में यह सूचना गलत साबित होती है तो मैं नियमानुसार कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होऊंगा/होऊंगी ।

प्रतिहस्ताक्षर

प्रधान ग्राम पंचायत